REVIEW OF RESEARCH

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 1 | OCTOBER- 2017

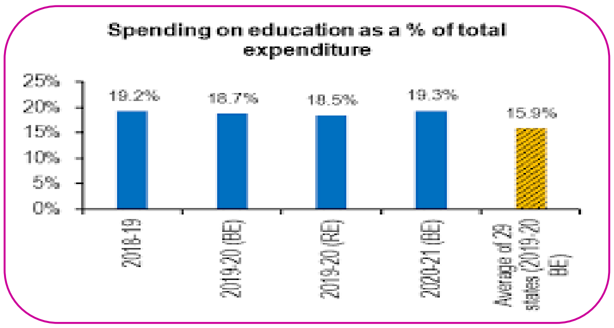

बिहार के वित्तीय संसाधनः एक संक्षिप्त अवलोकन

संतोष कुमार यादव
बी० कॉम०, एम० कॉम०
शोध छात्र
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा.

भूमिका

हालांकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अपनी वृहदार्थिक परिस्थितियों में अस्थिरता पैदा करने और आर्थिक विकास दर में धीमापन लाने वाले 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से अपेक्षाकृत तेजी से उबर गई थी लेकिन ढांचागत अवरोधों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों पर काबू पाना अभी भी बाकी है। लगातार बरकरार मुद्रास्फीति और चालू लेखे में उच्च स्तर पर घाटा से युक्त इन अवरोधों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी लाना जारी रखा है जिसकी विकास दर लगातार दो वर्षों, 2012—13 और 2013—14 में 5 प्रतिशत से भी नीचे रही। जैसा कि भारत सरकार के 2013—14 के आर्थिक सर्वेक्षण में गौर किया गया है कि आर्थिक विकास दर 2004—05 से लेकर 2011—12 के औसतन 8.3 प्रतिशत से गिरकर 2012—13 और 2013—14 में महज 4.6 प्रतिशत के औसत पर आ गई। मुद्रास्फीति के दबावों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के सख्त किए जाने ने भी निवेशों में धीमापन लाया और उसने भी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को घटाने में योगदान किया। सकल घरेलू उत्पाद की निम्न वृद्धि दर और विनिर्माण क्षेत्रा के कमजोर प्रदर्शन ने सार्वजनिक व्यवस्था पर राजस्व संग्रहण की निम्न वृद्धि दर के जरिए प्रभावित किया जिससे केंद्र सरकार की राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया प्रभावित हुई। गत वर्ष के धुंधले आर्थिक परिदृश्य ने बिहार सहित अधिकांश राज्यों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। घरेलू अर्थव्यवस्था में निम्न विकास दर से राज्य को हानेवाली राजस्व प्राप्तियाँ ही नहीं प्रभावित हुई, इसकी परिणति केंद्र सरकार से आशा से कम अंतरणों में भी हुई।

बिहार जैसे गरीब राज्य में विकास प्रयास विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए वित्तव्यवस्था प्रबंधन पर निर्भर होता है। ऐसा प्रबंधन नीतियों के क्रियान्वयन की सरकार की क्षमता सुदृढ़ करके भविष्य के प्रति आशा उत्पन्न करता है। आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के लिए संसाधनों का सख्ती से आबंटन और सारे सार्वजनिक व्ययों के परिणामों का अनुश्रवण किसी भी सरकार के अनिवार्य कार्य हैं। व्यय की गुणवत्ता में सुधार करके और अपने स्रोतों से राजस्व सहित राजस्व बढ़ाकर राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है। अतिवांछित अधिसंरचनाओं में निवेश के लिए पूंजीगत परिव्यय लगातार बढ़ाया जाता रहा है। बिहार की आर्थिक विकास की दर भी राष्ट्रीय विकास दर को पार कर गई है और उस स्तर पर विगत कई वर्षों से बरकरार है। सामाजिक क्षेत्रा पर व्यय में प्रचुर वृद्धि के चलते आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जो अधिकांश सामाजिक—आर्थिक सूचकों से अभिव्यक्त होता है। गरीबी के परिदृश्य में भी सुधार हो रहा है, खास कर ग्रामीण क्षेत्राों में।

राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम फरवरी 2006 में पारित किया था जिसमें उसने (क) 2008–09 तक राजस्व घाटा समाप्त करने और उसके बाद से पर्याप्त राजस्व अधिशेष कायम करने, (ख) 2008–09 तक राजस्व घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से नीचे लाने, (ग) लागत और समता को उचित सम्मान देते हुए गैर–कर राजस्व में वृद्धि करने, तथा (घ) पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के मानक तैयार करने और आर्थिक विकास, गरीबी में कमी तथा मानव विकास को बल देने वाली व्यय संबंधी नीतियों का अनुपालन करने के लिए खुद को संकल्पबद्ध किया था।[2] इन संकल्पों का मोटे तौर पर अनुपालन किया गया है। हालांकि अधिनियम में विहित राजकोषीय घाटा के संदर्भ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की उच्चतम सीमा ने अधिक उधार लेने और पूंजीगत परिसंपत्ति में निवेश करने की गुंजाइश सीमित कर दी है। हालांकि उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्तवर्ष में मुद्रास्फीति जनित दबावों में कुछ कमी आती दिखी है और जल्द ही अर्थव्यवस्था कम ब्याज दर वाले दौर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन ऐसे दौर में 3 प्रतिशत की एफआरबीएम सीमा राज्य सरकार को पूंजी निवेश के लिए अधिक उधार लेने से रोकेगी। इस संबंध में राज्य सरकार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रति आशान्वित है।

राज्य सरकार अपने संसाधन अपने कर और गैर–कर राजस्वों, वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में अपने हिस्से, योजना एवं गैर–योजना प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों, बाजार से लिए गए ऋण और अन्य उधारियों से प्राप्त करती है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के लेखे में रखे जाने वाले भविष्य निधि के संग्रहणों तथा अन्य जमा राशियों के बरअक्स की गई उधारियां शामिल होती हैं। इन संसाधनों का उपयोग या तो विकास के मकसद से योजना व्यय के लिए होता है या गैर–योजना व्यय के लिए। गैर–योजना शीर्ष में प्रशासन, ब्याज भुगतान और बकाया ऋणों की अदायगी, स्थानीय निकायों, सरकारी कंपनियों और निगमों को दिया जाने वाला अनुदान एवं ऋण तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिया जाने वाला अग्रिम देना शामिल होता है। केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के समापन से इस ढांचे में परिवर्तन आ सकता है, खासकर योजना विषयक धनराशि के संबंध में।

संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, राज्स सरकार द्वारा प्राप्त समस्त, इसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और ऋण अदायगी (रिपेमेंट ऑफ लोन) के रूप में प्राप्त सारी रकम की उसकी संचित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) में रखा जाता है। बजट पारित करने की प्रक्रिया के जरिए विधानमंडल के अनुमोदन के बगैर इस निधि से कोई राशि खर्च नहीं की जा सकती है।[3] इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित दो अन्य कोष भी होते हैं। पहली है आकस्मिक विधि (कंटिंजेंसी फंड) जो नियम कॉर्पस वाली और अर्थदाय (इम्प्रेस्ट) की प्रकृति की होती है। विधानमंडल द्वारा उसका निर्माण संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत असंभावित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। विधानमंडल द्वारा उसका बाद में प्रमाणीकरण (ऑथराइजेशन) किया जाता है तथा संचित निधि से उसे पूरा (रिकूप) किया जाता है। इस समय (2013–14 में) इस निधि का कॉर्पस 350 करोड़ रू. है। राज्य सरकार द्वारा या उसके निमित्त प्राप्त अन्य सारी राशियों को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित लोक लेखा (पब्लिक एकाउंट) में रखा जाता है। लोक लेखा से निकासी के लिए विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। उसका शेष भी अलग रखने के बजाय राज्य सरकार के नगद शेष (कैश बैलेंस) के साथ मिला दिया जाता है। संचित निधि में उधार लेने के बाद राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा लोक लेखा के शेष से पूरा किया जाता है और लोक लेखा में मौजूद नगद शेष में कमी लाकर भी।[6] भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के बैंकर के बतौर काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के तहत राज्य सरकार को अपना कम से कम 1.73 करोड़ रू. नगद शेष उसके पास बनाए रखना होगा। अगर शेष इस सीमा से नीचे आता है, तो कमी को अर्थोपाय अग्रिम (सामान्य अथवा विशेष) लेकर या फिर समय–समय पर ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा करना पड़ता है। वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना न्यूनतम नगद शेष हमेशा बनाए रखा। न्यूनतम सीमा से अधिक शेष को स्वचालित रूप से भारतीय रिवर्ज बैंक के कोषागार चालानों में निवेशित कर दिया जाता है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर–कर राजस्व, दोनों स्रोतों का योगदान रहता है। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व तथा केन्द्र सरकार के करों एवं शुल्कों के

विभाज्य पूल में उसका हिस्सा शामिल रहता है। इसी प्रकार, गैर–कर राजस्व में राज्य सरकार के अपने गैर–कर राजस्व के साथ–साथ योजना और गैर–योजना प्रयोजन के केन्द्रीय अनुदान शामिल रहते हैं। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है:

1. आयजनित कर जिसमें कृषि आय कर और व्यापार कर (टेक्सेज ऑन ट्रेड) शामिल हैं;
2. संपत्ति तथा पूँजीगत अंतरणों पर कर जिसमें भूमि राजस्व, स्टॉप एवं निबंधन शुल्क तथा शहरी अचल संपदा कर शामिल होते हैं, और
3. वस्तु एवं सेवाकर (टैक्सेज ऑन कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज) जो निस्संदेह राज्य सरकार के अपने कर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसमें बिक्री कर या मूल्यवर्धित कर, लेनदेन कर (टर्न ओवर टैक्स), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, माल एवं यात्री कर (टैक्सेज ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स), विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर जैसे विविध कर शामिल होते हैं।

केन्द्रीय करों में हिस्से में मुख्यतः आय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और संपदा कर शामिल हैं जिनका संग्रहण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन उनकी प्राप्तियों में हर पाँच साल पर गठित होने वाले वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत राज्यों को भी हिस्सा दिया जाता है।

राज्य सरकार के अपने गैर–कर राजस्व को भी विभिन्न सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रा एवं अर्ध–व्यावसायिक उपक्रमों तथा अन्य निकायों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियों, उनसे प्राप्त लाभांशों एवं मुनाफों, राज्य सरकार के नगद शेष के निवेश से अर्जित ब्याज तथा सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के बतौर वर्गीकृत विभिन्न सेवाओं से होने वाली प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। गैर–कर राजस्व में अन्य सेवाओं की अपेक्षा आर्थिक सेवाओं का अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाल के वर्षो में बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को मिली ऋण राहत भी गैर–कर प्राप्ति के तहत शामिल है और यह इसके गैर–कर राजस्व का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है।

केन्द्र सरकार का अनुदान योजना और गैर–योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए होता है। योजनागत अनुदानों में राज्य की अपनी योजनागत योजनाओं के लिए, केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग–अलग अनुदान होते हैं। गैर–योजना अनुदानों में वैधानिक अनुदान के साथ–साथ प्राकृतिक आपदा विषयक राहत और सार्वजनिक प्रयोजन के अन्य अनुदान शामिल होते हैं।

तालिका–1 में 2009–10 से 2014–15 तक राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों को दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि इन सभी वर्षो में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों का तकरीबन 70 प्रतिशत भाग करों के विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से और सहायता अनुदानों के जरिए केन्द्र सरकार से आया। इनका हिस्सा 2009–10 में राज्य सरकार के कुल राजस्व का 73 प्रतिशत था। वर्ष 2013–14 केन्द्रीय अंतरण राज्य सरकार के कुल राजस्व का 69 प्रतिशत था। 51 प्रतिशत केन्द्रीय करों में राज्यांश का और 18 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदानों को कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने संसाधनों का योगदान मात्रा 11 प्रतिशत थी। 29 प्रतिशत कर राजस्व का और 2 प्रतिशत गैर–कर राजस्व का।

राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 2009–10 के 8090 करोड़ रू. से बढ़कर 2014–15 में 25,663 करोड़ रू. हो गया है और इसी अवधि में गैर–कर राजस्व 1670 करोड़ रू. से बढ़कर 3082 करोड़ रू.। हालांकि स्मरणीय है कि गैर–कर राजस्व में वृद्धि केन्द्र सरकार से हुए कुछ विशेष अंतरणों के कारण हुई है। 2009–10 में 770करोड़ रू. के ऋण राहत के कारण काफी बढ़ा था। इस आयोग की कार्यावधि को संप्राप्ति परऋण राहत की समाप्ति के बाद 2010–11 में गैर–कर प्राप्ति में 684करोड़ रू. की अचानक गिरावट आई थी। वर्ष 2009–10 में मिली ऋण राहत में से 385 करोड़ रू. की वापसी के कारण 2011–12 में गैर–कर राजस्व में और भी कमी आई। वर्ष 2012–13 में झारखण्ड सरकार से 'पेंशन आदि से अंशदान एवं वसूलियों' से संबंधित प्राप्तियों के बतौर गैर–कर राजस्व 151 करोड़ रू. बढ़ा। यह अंतरण बिहार के विभाजन के पूर्व की अवधि से संबंधित पेंशन की प्रतिपूर्ति के कारण थी। वर्ष 2013–14 में भी इसके कारण गैर–कर राजस्व 400 करोड़ रू. बढ़ा।

तालिका–1 : राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रू.)

राजस्व के स्रोत	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (ब.अ.)
प्प्राज्य का अपना राजस्व	9760	10855	13502	17388	21506	287.45
(क) कर राजस्व	8090	9870	12612	16253	19961	25663
(ख) गैर कर राजस्व	1670	986	890	1135	1545	3082
प्प्केन्द्र से प्राप्तियाँ	25767	33677	37818	42178	47413	73195
(क) विभाज्य करों का हिस्सा	18203	23978	27935	31900	34829	41775
(ख) सहायता अनुदान	7564	9699	9883	10278	12584	31420
प्प्प्कुल राजस्व प्राप्तियाँ	35527	44532	51320	59567	68919	101940
कुल प्राप्तियों में राज्य के अपने राजस्व का प्रतिशत	27.5	24.4	26.3	29.2	31.2	28.2

स्रोतः राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार, पटना

राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में स्टॉप एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर एवं शुल्क, भूमि राजस्व तथा कृषि आय कर शामिल हैं। इनमें से अंतिम अपेक्षाकृत महत्वहीन हैं। प्रत्यक्ष करों से काफी अधिक महत्व वाले अप्रत्यक्ष करों में बिक्री कर, व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं। वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक इन करों से प्राप्तियाँ का विवरण तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका–2 : विभिन्न शीर्षो के तहत कर राजस्व

(करोड़ रू.)

राजस्व के स्रोत	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (ब.अ.)
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	3839	4552	7426	8671	8453	12820
माल एवं यात्री कर	1613	2006	828	1932	4349	4118
राज्य उत्पाद शुल्क	1082	1523	1981	2430	3168	3700
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	998	1099	1480	2173	2712	3600
वाहन कर	345	455	569	673	837	1000
भूमि राजस्व	124	139	167	205	202	250
विद्युत कर एवं शुल्क	67	65	55	103	141	83
अन्य वस्तु एवं सेवाकर / शुल्क	22	25	26	29	50	49
कृषि आय कर	0	0	0	0	0	0
योग	8090	9870	12583	16216	19914	25621

स्रोतः राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार, पटना

कर राजस्व की संरचना एवं प्रवृत्ति

राज्य सरकार की कर प्राप्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके प्रमुख कर स्रोत बिक्री कर (मूल्य वर्धित कर–वैट), स्टॉप एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वाहन कर हैं। राज्य सरकार की कुल कर प्राप्तियों में इन पाँचों करों का संयुक्त हिस्सा लगभग पूरा का पूरा है। वर्ष 2014–15 में कुल कर प्राप्तियों में इनमें से अकेले बिक्री कर (8453)करोड़ रू. का 42 प्रतिशत हिस्सा बार उसके बाद माल एवं यात्री कर (22 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (16 प्रतिशत), स्टॉप एवं निबंधन शुल्क (14 प्रतिशत) तथा वाहन कर (4 प्रतिशत) का स्थान था। ये कर उच्च उत्फुल्लता वाले हैं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ उनकी प्राप्ति लगातार बढ़ रही है। विगत कुछ वर्षो के दौरान कर राजस्व की संरचना में कोई महत्वपूर्ण ढ़ाँचागत बदलाव नही आया है। अपवाद 2011–12 था जब विभिन्न मदों में दरों में वृद्धि तथा मूल्यवृद्धि के कारण बिक्री कर (वैट) में अचानक वृद्धि हुई थी। परिणामस्वरूप, माल एवं यात्री कर के हिस्से में तेज गिरावट भी आई थी। राज्य सरकार के कर राजस्व की संरचना तालिका–3 में दर्शायी गई है और उनकी वृद्धि दरें तालिका–4 में।

तालिका–3 : कर राजस्व की संरचना

(करोड़ रू.)

राजस्व के स्रोत	प्रतिशत हिस्सा					
	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (ब.अ.)
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	47.5	46.2	59.4	53.5	42.4	50.0
माल एवं यात्री कर	19.9	20.3	6.6	11.9	21.8	16.1
राज्य उत्पाद शुल्क	13.4	15.4	15.7	15.0	15.9	14.4
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	12.3	11.1	11.8	13.4	13.6	14.1
वाहन कर	4.3	4.6	4.5	4.2	4.2	3.9
भूमि राजस्व	1.5	1.4	1.3	1.3	1.0	1.0
विद्युत कर एवं शुल्क	0.8	0.7	0.4	0.6	0.7	0.3
अन्य कर	0.3	0.3	0.3	0.1	0.4	0.2
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15, बिहार सरकार, पटना

वर्ष 2009–10 से 2014–15 के बीच सर्वाधिक 31.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर स्टांप एवं निबंधन शुल्कों दर्ज की गई है और उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (27.7 प्रतिशत), बिक्री कर (25.8 प्रतिशत) तथा माल एवं यात्री क द्वारा (25.2 प्रतिशत)। वर्ष 2013–14 में बिक्री कर की 2.5 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि हुई थी लेकिन वर्तमान वित्तवर्ष (2014–15) में नकारात्मक विकास दी की भरपाई करते हुए इसमें लगभग 52 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2009–10 से लेकर 2013–14 तक के पाँच वर्षो के दौरान अधिकांश करों के विकास पैटर्न में कोई निरंतरता माल एवं यात्री कर में 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2013–14 में इससे 125 प्रतिशत की वृद्धि हुई और संग्रहण 4349 करोड़ रू. के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। इस कर में पथकर, यात्री कर और माल कर से संग्रह, खपत, उपयोग या बिक्री हेतु स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर लगने वाला प्रवेश कर और अंतर्राज्य संचरण शुल्क (चुंगी) शामिल होता है। बिहार में इस कर से होनेवाला पूरा संग्रहण खपत हेतु स्थानीय क्षेत्रों में आने वाले मालों के प्रवेश से होता है।

तालिका–4 : कर राजस्व की वृद्धि दरें

(करोड़ रू.)

राजस्व के स्रोत	विगत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि						वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2009–15)
	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (ब.अ.)	
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	27.3	18.7	64.1	16.0	2.5	51.7	25.8
माल एवं यात्री कर	26.1	24.4	58.7	133.3	125.1	5.3	25.2
राज्य उत्पाद शुल्क	59.3	40.8	30.0	22.7	30.4	16.8	27.7
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	39.3	10.1	34.7	46.8	24.8	32.7	31.2
वाहन कर	15.9	32.0	25.0	18.3	24.4	19.1	23.2
भूमि राजस्व	21.8	12.2	20.5	22.7	1.8	23.9	14.8
विद्युत कर एवं शुल्क	1.5	2.1	16.1	87.5	37.8	41.5	12.2
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	58.0	12.4	3.6	13.6	73.9	3.6	19.6
अन्य	16.0	7.7	8.2	36.0	17.0	2.8	15.0
योग	31.1	22.0	27.5	28.9	22.8	28.7	26.1

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15, बिहार सरकार,पटना, पृ0 364

अप्रत्यक्ष करों की भागीदारी

तालिका–3.5 में देखा जा सकता है कि 2013–14 में राज्य सरकार के कुल अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का 20 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों का शेष 80 प्रतिशत हिस्सा था। यह वितरण विगत वर्षो में भी ऐसा ही विषम था। यह बतलाता है कि राज्य सरकार की राजकोषीय सुधारों की प्रक्रिया को इसके कर ढाँचें में अभिव्यक्त होना अभी भी बांकी है। यह केन्द्रीय कर प्राप्तियों की संरचना में देखे गए रूझान के भी विपरीत लगता है जो सुधारों का आरंभ होने के बाद काफी हद तक प्रत्यक्ष करों की ओर मुड़ गया है। लेकिन सभी राज्यों के ढ़ांचे विषम लगते हैं क्योंकि आय कर अथवा निगम कर जैसे अधिक प्राप्ति वाले प्रत्यक्ष करों का व्यवस्था केन्द्र सरकार के ही हाथों में है।

तालिका–5 : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा

(करोड़ रू.)

राजस्व के स्रोत	प्रतिशत हिस्सा					
	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (ब.अ.)
राज्य के अपने कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	81	82	82	80	80	81
राज्य के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	19	18	18	20	20	19
योग	100	100	100	100	100	100

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15, बिहार सरकार, पटना, पृ. 365

वर्ष 2013–14 के बजट में प्रस्तावित राजस्व अनुमान की उस वर्ष हुए वास्तविक संग्रहण (तालिका–3.6) के साथ तुलना करने पर दिखता है कि गैर–कर राजस्व के मामले बजट अनुमान से लगभग 1866 करोड़ रू. (54.7 प्रतिशत) की भारी कमी थी, वहीं, कर राजस्व में मात्रा 1003 करोड़ रू. (5 प्रतिशत) की कमी थी। गैर–कर राजस्व में कमी लगभग पूरी तरह से झारखंड से बकाए की वसूली नहीं हो पाने के कारण थी। बजट अनुमान में इस लेखे में 2002 करोड़ रू. का अनुमान किय गया था लेकिन वास्तविक प्राप्ति मात्रा 400 करोड़ रू. हुईथी। कर राजस्व में मुख्य कमी बिक्री एवं व्यापार करों (3871 करोड़ रू.) के मामले में हुई जिसकी भरपाई मोटे पर माल एवं यात्री कर (3156 करोड़ रू.) से हो गं। राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में भी 512 करोड़ रू. की कमी थी। इस प्रकार, समय वसूली कर राजस्व के मामले में लक्ष्य के आसपास थी लेकिन गैर–कर राजस्व के मामले में बहुत कम थी।

तालिका–6 : कर और गैर–कर राजस्वों की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर(2013–14)

(करोड़ रू.)

राज्य के स्रोत	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	अंतर (वास्तविक ब. अ.)	प्रतिशत अधिकता और कमी
अपना कर राजस्व				
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	12324	8453	3871	31.4
माल एवं यात्री कर	1193	4349	3156	264.6
राज्य उत्पाद शुल्क	3630	3168	512	13.9
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	2628	2712	8.4	3.2
वाहन कर	800	837	37	1.7
भूमि राजस्व	205	202	3	16
विद्युत कर एवं शुल्क	66	141	75	113.6
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	34	50	16	47.6
अन्य	33	48	15	44.2
योग	20963	19960	1003	4.8
अपना गैर–कर राजस्व				

अलौह सामान्य सेवाओं से प्राप्तियाँ	641	369	72	11.2
विविध सामान्य सेवाओं से प्राप्तियाँ	1	0	1	67.5
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1	–1	2	254.3
अन्य	2145	710	1434	66.9
योग	3416	1545	1868	54.7

स्रोतः राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार, पटना।

प्रमुख करों का संग्रहण व्यय तालिका–7 में दर्शाया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि यह व्यय वाहन कर के मामले में अपेक्षाकृत अधिक रहा है। दूसरे, अधिसंरचना के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण वाहन कर को छोड़ सभी प्रमुख करों के मामले में कुल संग्रहण के प्रतिशत के बतौर संग्रहण व्यय हाल के वर्षो में घटता गया है। कर संग्रह मशीनरी को दुरूस्त करने, कराधान ढ़ांचे का और भी युक्तिकरण करने तथा उपभोक्ता के लिए आसान स्वचालन (ऑटोमेशन) से संग्रहण व्यय में और भी कमी आएगी।

तालिका–7 : कर संग्रहण व्यय

वर्ष	संग्रहण (करोड़ रू.)	संग्रहण व्यय (करोड़ रू.)	व्यय संग्रहण के % में	संग्रहण (करोड़ रू.)	संग्रहण व्यय (करोड़ रू.)	व्यय संग्रहण के % में
	बिक्री कर, व्यापार कर आदि			राज्य उत्पाद शुल्क		
2009–10	3839	48	1.3	1082	44	4.1
2010–11	4557	56	1.2	1523	38	2.5
2011–12	7476	65	0.9	1981	41	2.1
2011–13	8671	78	0.9	2430	43	1.8
2013–14	8453	70	0.8	3168	45	1.4
2014–15 (ब.अ.)	12820	114	0.9	3700	72	2.0
	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क			वाहन कर		
2009–10	998	46	4.6	345	10	3.0
2010–11	1099	47	4.2	456	17	3.7
2011–12	1480	43	2.9	569	22	3.9
2011–13	2173	45	2.1	673	25	3.8
2013–14	2712	55.0	2.0	837	30	3.6
2014–15 (ब.अ.)	3600	72.2	2.0	1000	44	4.4

स्रोतः राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार, पटना।

तालिका–3.8 बिहार सरकार की प्राप्तियाँ और व्यय

(करोड़ रू.)

क्र. सं.	पद	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (ब.अ.)
1	कुल प्राप्ति–राजस्व लेखा	35527	44532	51320	59567	68019	101900
क	कर राजस्व	26292	33848	40547	48153	54790	67438
ख	गैर–कर राजस्व	1670	986	890	1135	1545	3082
ग	सहायता अनुदान एवं अंशदान	7564	9699	9883	10278	12584	31420
2	कुल व्यय– राजस्व लेखा	32584	38216	46500	54466	62477	91765
क	सामान्य सेवाएँ, जिसमें	12202	15287	17730	18645	22018	28155
	ब्याज भुगतान	3685	4319	4304	4428	5459	6581
ख	सामाजिक सेवाएं	13186	15089	18729	23107	26395	43618
ग	आर्थिक सेवाएं	7088	7836	10038	12710	14060	19988
घ	सहायता अनुदान	107	3	3	4	4	4
3	राजस्व घाटा	–2943	6316	4829	5101	6442	10175
4	पूंजीगत प्राप्तियाँ	6148	6044	6650	9579	9922	14753
क	लोक ऋण आदि	6134	6032	6628	9554	9907	14727
ख	ऋण एवं अग्रिम वसूली	33	12	23	25	15	16
5	पूंजीगत व्यय, जिसमें	19211	12489	13681	18740	17928	25120
क	पूंजीगत परिव्यय	7332	9196	8852	9585	14001	21151
ख	ऋण एवं अग्रिम	897	1103	1906	2036	807	406
ग	लोक ऋण	4983	2190	2922	3070	3120	3563
6	कुल व्यय	42795	50705	50110	69206	80405	116880
क	योजना व्यय	16194	20911	23008	28380	33677	57655
ख	गैर–योजना व्यय	26601	29794	37174	40826	46728	59231
7	सकल राजकोषीय घाटा	5272	3970	5915	6545	8351	11368
8	प्राथमिक घाटा	1587	349	1611	2117	2892	8747
9	कुल ऋण ग्रहण	6134	6032	6628	9854	9907	14727
क	आंतरिक ऋणग्रहण	5370	5251	5801	9046	9357	12878
ख	केन्द्र सरकार से ऋण	764	782	827	508	550	1849
10	लोक ऋण अदायगी	1983	2190	2922	3070	3120	3563
11	बकाया लोक ऋण	43442	47285	58990	57474	64262	75426
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	162923	203555	243269	296153	343054	383709
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में							
	कुल प्राप्ति–राजस्व लेखा	21.8	21.9	21.1	20.1	20.1	26.6

	कर राजस्व	16.1	16.6	16.7	16.3	16.0	17.6
	गैर–कर राजस्व	1.0	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8
	सहायता अनुदान एवं अंशदान	2.6	4.8	4.1	3.5	3.7	8.2
	कुल व्यय–राजस्व लेखा	20.0	18.8	19.3	18.4	18.2	21.9
	सामान्य सेवाएं, जिसमें	7.5	7.5	7.3	6.3	6.4	2.3
	व्यय भुगतान	2.3	2.4	2.9	4.5	1.0	1.2
	सामाजिक सेवाएं	2.4	3.4	7.7	7.8	1.4	11.4
	वार्षिक सेवाएं	1.4	0.4	4.4	4.3	4.4	5.2
	सहायता अनुदान	1.4	1.4	0.0	4.0	3.0	0.4
	राजस्व भाड़ा	1.3	3.4	2.2	1.7	1.9	2.1
	पूंजीगत प्राप्तियाँ	3.1	3.1	2.0	3.2	2.9	3.8
	लाभ ऋण आदि	4.5	3.6	2.7	3.2	2.9	3.3
	ऋण एवं अग्रिम वसूली	6.0	4.0	6.0	3.0	8.0	10.3
	पूँजीगत व्यय, जिसमें	0.3	8.1	5.6	5.0	5.4	12.3
	पूँजीगत परिव्यय	4.5	4.5	3.6	3.2	4.1	5.5
	ऋण एवं अग्रिम	0.4	6.5	0.8	0.7	0.2	0.1
	लोक ऋण	1.2	1.1	1.2	1.4	0.9	0.2
	कुल व्यय	26.3	24.9	24.7	23.4	21.4	30.1
	योजना व्यय	7.9	10.3	9.5	9.6	9.8	45.0
	गैर योजना व्यय	30.3	14.6	15.3	13.8	13.6	15.4
	सकल राजकोषीय घाटा	2.2	2.0	2.4	2.2	2.4	3.0
	प्राथमिक घाटा	2.0	0.2	0.7	0.7	0.8	1.2
	कुल ऋण ग्रहण	3.8	3.0	2.7	3.2	2.9	3.3
	आंतरिक ऋण संग्रहण	3.3	2.0	2.4	3.1	2.7	3.4
	केन्द्र सरकार से ऋण	8.5	0.1	0.3	0.3	0.2	4.5
	लोक ऋण अदायगी	1.2	2.1	1.2	1.0	0.9	0.9
	बकाया लोक ऋण	28.7	23.2	21.0	27.2	18.7	10.7

स्रोतः राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार, पटना।

निष्कर्ष :–

बिहार जैसे गरीब राज्य में विकास प्रयास विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए वित्तव्यवस्था प्रबंधन पर निर्भर होता है। ऐसा प्रबंधन नीतियों के क्रियान्वयन की सरकार की क्षमता सुदृढ़ करके भविष्य के प्रति आशा उत्पन्न करता है। आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के लिए संसाधनों का सख्ती से आबंटन और सारे सार्वजनिक व्ययों के परिणामों का अनुश्रवण किसी भी सरकार के अनिवार्य कार्य हैं। व्यय की गुणवत्ता में सुधार करके और अपने स्रोतों से राजस्व सहित राजस्व बढ़ाकर राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है।

केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों और करों में राज्य के हिस्से के साथ राज्य सरकार का कुल राजस्व 18 प्रतिशत की प्रभावी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2009–10 के 35.527 करोड़ रू से 2013–14 में 68.919 करोड़ रू0 हो गया। इसके मुकाबले राज्य सरकार की अपनी कुल राजस्व प्राप्ति इस अवधि में लगभग 22 प्रतिशत की और भी उच्च वार्षिक दर से बढ़ी और कर राजस्व 25 प्रतिशत की उससे भी अधिक वार्षिक दर से बढ़ा। इस

अवधि में केंद्र सरकार के अनुदान 14 प्रतिशत की दर से ही बढ़े। हालांकि वर्तमान वित्तवर्ष से केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को होने वाले अनुदानों का सीधा अंतरण समाप्त होने से सभी अनुदानों को अब राज्य बजट के जरिए दिया जाना है। इससे राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले केंद्रीय अनुदानों का परिमाण काफी बढ़ेगा। फलतः केंद्रीय अनुदानों में 2013–14 के स्तर से लगभग ढाईगुनी वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया। वर्ष 2013–14 में ऐसे अनुदानों का परिमाण 12,584 करोड़ रू0 था जो 2014–15 के बजट अनुमान में 41.775 करोड़ रू0 होना प्रत्याशित है। राज्य सरकार के राजस्वों के अन्य सभी घटकों के विकास की तुलना में अपने राजस्वों की वृद्धि दर उसके राजस्व के अन्य घटकों की अपेक्षा अधिक होने के कारण कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने राजस्व का हिस्सा 2009–10 के 27.5 प्रतिशत से बढ़कर 2013–14 में 31.2 प्रतिशत हो गया। हालांकि केंद्रीय अनुदानों में अचानक वृद्धि के कारण यह हिस्सा 2014–15 में गिरकर 28.2 प्रतिशत रह गया।

राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर एवं शुल्क, भूमि राजस्व तथा कृषि आय कर शामिल हैं। इनमें से अंतिम अपेक्षाकृत महत्वहीन है। प्रत्यक्ष करों से काफी अधिक महत्व वाले अप्रत्यक्ष करों में बिक्री कर, व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

राज्य सरकार की कर प्राप्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके प्रमुख कर स्रोत बिक्री कर (मूल्यवर्धित कर–वैट), स्टांप एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वाहन कर हैं। राज्य सरकार की कुल कर प्राप्तियों में इन पांचों करों का संयुक्त हिस्सा लगभग पूरा का पूरा है। वर्ष 2013–14 में कुल कर प्राप्तियों में इनमें से अकेले बिक्री कर (8,453 करोड़ रू.) का 42 प्रतिशत हिस्सा था। उसके बाद माल एवं यात्री कर (22 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (16 प्रतिशत), स्टांप एवं निबंधन शुल्क (14 प्रतिशत) तथा वाहन कर (4 प्रतिशत) का स्थान था। ये कर उच्च उत्फुल्लता वाले हैं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ उनकी प्राप्ति लगातार बढ़ रही है। विगत कुछ वर्षों के दौरान कर राजस्व की वृद्धि तथा मूल्यवृद्धि के कारण बिक्री कर (वैट) में अचानक वृद्धि हुई थी। परिणामस्वरूप, माल एवं यात्री कर के हिस्से में तेज गिरावट भी आई थी।

2013–14 में राज्य सरकार के कुल अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का 20 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों का शेष 80 प्रतिशत हिस्सा था। यह वितरण विगत वर्षों में भी ऐसा ही विषम था। यह बतलाता है कि राज्य सरकार की राजकोषीय सुधारों की प्रक्रिया को इसके कर ढांचे में अभिव्यक्त होना अभी भी बाकी है। यह केंद्रीय कर प्राप्तियों की संरचना में देखे गए रूझान के भी विपरीत लगता है जो सुधारों का आरंभ होने के बाद काफी हद तक प्रत्यक्ष करों की ओर मुड़ गया है। लेकिन सभी राज्यों के ढ़ांचे विषम लगते हैं क्योंकि आय कर अथवा निगम कर जैसे अधिक प्राप्ति वाले प्रत्यक्ष करों की व्यवस्था केंद्र सरकार के ही हाथों में है।

सन्दर्भः

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना, पृ. 324
2. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006
3. आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना, पृ. 377
4. भारत का संविधान, अनुच्छेद–267
5. भारत का संविधान, अनुच्छेद–266
6. आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15, पूर्व संदर्भित, पृ.–325
7. भारत का संविधान, अनुच्छेद 266, 34 खंड–2
8. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की बेवसाइट
9. आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15,पूर्व संदर्भित, पृ.–360
10. 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. राज्य सरकार के 2013–14 और 2104–15 के बजट, बिहार सरकार, पटना।
12. राज्य सरकार के विभिन्न वर्षो के बजट दस्तावेज, बिहार सरकार, पटना।
13. वही।
14. आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15,पूर्व संदर्भित, पृ.–363

15. वही, पृ. 364
16. वही, पृ. 365
17. राज्य सरकार के 2013–14 और 2104–15 के बजट, बिहार सरकार, पटना।
18. राज्य सरकार के विभिन्न वर्षो के बजट दस्तावेज, बिहार सरकार, पटना।
19. वही
20. हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्रा, मुजफ्फरपुर संस्करण, सितम्बर 2015, पृ. 16
21. राज्य सरकार के विभिन्न वर्षो के बजट दस्तावेज, बिहार सरकार, पटना।
22 वही
23. वही